न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 472

प्रकरण संख्या 204 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री कालुसिंह   बनाम   तहसीलदार भीण्डर

–: : निर्णय : :–

दिनांक :–09.01.2023

1. प्रार्थी श्री कालुसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत निवासी कुंथवास द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि मौजा कुंथवास पटवार हल्का कुंथवास तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2069–72 की खाता संख्या 570 की खसरा नंबर 2646 / 5 शा.न. 506, 529 कुल रकबा 6 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम गैर खातेदार से दर्ज है। नवीन बंदोबस्त बाद प्रार्थी के नाम का खाता कायम नहीं किया गया जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को पुनः अपने नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट मय अनुशंषा पेश की गई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है कि :–

I. राजस्व ग्राम कुंथवास की बंदोबस्त विभाग से पूर्व की स्थिति जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 570 आराजी नंबर 2646 / 5 शा.न. 506, 529 किता 1 कुल रकबा 6 बीघा भूमि कालुसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। यह कि बंदोबस्त विभाग द्वारा भू–प्रबंधन कार्यवाही के पश्चात् उपलब्ध कराए रिकार्ड अनुसार वर्तमान जमांबदी संवत् 2078–81 में नवीन खाता संख्या 1 के आराजी नंबर 752 रकबा 26.7000 हैक्टेयर बिलानाम राज्य सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

II. यह कि जमाबंदी संवत् 2069–72 में खाता संख्या 570 में प्रार्थी कालुसिंह जाति राजपुत गैर खातेदार दर्ज था। बंदोबस्त के बाद प्रार्थी के नाम से खाता कायम नहीं है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त आराजी नंबर में 752 रकबा 26.7000 हैक्टेयर है जो बिलानाम राज्य सरकार के नाम दर्ज है। वर्तमान में उक्त भूमि पड़त है प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि पर सरहद खोद रखी है। भू–प्रबंधन में आराजी नंबर 2646 / 5 शा.न. [illegible] रकबा 6 बीघा का नया आराजी कायम नहीं किया गया है जबकि 2646 मी. 506, 529 [illegible] आराजी 752 रकबा 26.7000 हैक्टेयर वनाया गया है। आराजी नंबर 752 रकबा 26.7000 हैक्टेयर भूमि में [illegible]66 हैक्टेयर (6 वीघा) भूमि का खाता पूर्व में दर्ज गैर खातेदार कालुसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत सा. देह के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया। साबिक नक्शे में आराजी नंबर 2646 / 5 शा.न. 506, 529 की पुख्ता तरमीम नहीं है। तरमीम में वदलाव हेतु नक्शा ट्रेस C प्रस्तावित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:39:41 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण मे प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी के कथनानुसार मौजा कुंथवास पटवार हल्का कुंथवास तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2069–72 की खाता संख्या 570 की खसरा नंबर 2646/5 शा.न. 506, 529 कुल रकबा 6 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम गैर खातेदार से दर्ज थी। नवीन वंदोबस्त बाद प्रार्थी के नाम का खाता कायम नहीं किया गया जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को पुनः अपने नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की जमावंदी संवत् 2069–72 के खाता 570 आराजी नंबर 2646/5 शा.न. 506, 529 किता 1 कुल रकबा 6 बीघा भूमि कालुसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। यह कि बंदोबस्त विभाग द्वारा भू–प्रबंधन कार्यवाही के पश्चात् प्रार्थी के नाम से खाता कायम नहीं किया गया। मिलान क्षैत्रफल अनुसार उक्त नंबर की भूमि वर्तमान में आराजी नंबर 752 रकबा 26.7000 हैक्टेयर है जो विलानाम राज्य सरकार के नाम से दर्ज है। भू–प्रबंधन में आराजी नंबर 2646/5 शा.न. 506, 529 रकबा 6 बीघा का नया आराजी कायम नहीं किया गया है जबकि 2646 मी. 506, 529 से नया आराजी 752 रकबा 26.7000 हैक्टेयर बनाया गया है। साबिक नक्शे में आराजी नंबर 2646/5 शा.न. 506, 529 की पुख्ता तरमीम नहीं है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा वर्तमान में साबिक आराजी नंबर 2646/5 शा.न. 506, 529 किता 1 कुल रकबा 6 बीघा अनुसार मौके पर आराजी नंबर 752 में प्रार्थी का कब्जा होना बताया। वर्तमान में उक्त भूमि खाली (पड़त) है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि में सरहद खोद रखी है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी नंबर 752 रकबा 26.7000 हैक्टेयर भूमि में से 1.2966 हैक्टेयर (6 बीघा) भूमि प्रस्तावित नक्शा ट्रेस C अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कंमाक प.(12) राज.16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट एवं अनुशंषा के आधार पर यह पाया गया प्रार्थी जमाबंदी संवत् 2069–72 की खाता संख्या 570 की खसरा नंबर 2646/5 शा.न. 506, 529 रकबा 6 बीघा भूमि में गैर खातेदार से दर्ज रिकार्ड था। भू–प्रबंधन में आराजी नंबर 2646/5 शा.न. 506, 529 रकवा 6 वीघा का नया आराजी कायम नहीं किया गया है जबकि 2646 मी. 506, 529 से नया आराजी 752 रकवा 26.7000 हैक्टेयर वनाया गया है। नवीन बंदोबस्त बाद पुख्ता तरमीम नहीं होने से उक्त भूमि को विलानाम दर्ज कर दिया गया। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपनी साविक आराजी अनुसार मौके पर काविज है व प्रार्थी द्वारा भूमि पर सरहद खोद रखी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:39:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुंथवास पटवार क्षेत्र कुंथवास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 752 किता 1 रकबा 26.7000 हैक्टर भूमि में से 1.2966 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी गैर खातेदार कालुसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत सा. देह के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस **'C'** अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 09.01.2023 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:39:41 IST
Reason: SelfAttested